<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 29/05/2015 को आयोजित 125वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 125 वीं बैठक प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री रंजन धवन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री अशोक कुमार सिंह, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमति सुचि शर्मा, संयुक्त सचिव, उघोग, राजस्थान सरकार, श्री अर्णव रॉय, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, डा. राजेन्द्र सिंह मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड व श्रीमति सरिता अरोरा मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान श्री आर.के.गुप्ता द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया ।

प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैठक के अध्यक्ष श्री रंजन धवन ने उदबोधन में बताया कि कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका अदा करते हुए 62% श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाता है। राज्य में बेमौसमी बारिश तथा ओलावृष्टि द्वारा रबी फसल को हुए नुकसान तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु किये जा रहे उपायों से सदन को अवगत करवाते हुए बैंकों द्वारा भी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार राहत उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के बारे में बताया। उन्होनें राज्य में बैंको के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। राज्य में बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य न केवल प्राप्त किये गये अपितु 111% उपलब्धि के साथ surpass किये गये। उन्होने सदन को अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में बैंकों का कुल व्यवसाय 14.78% वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि के साथ रू 4,80,201 करोड़ रहा है। राज्य में कुल बैंक जमाएं 2,54,883 करोड़ तथा कुल अग्रिम 2,25,318 करोड़ रहे हैं। उन्होने बताया कि कुल अग्रिमों में कृषि अग्रिमों का अंशदान वर्ष दर वर्ष वृद्धि पर है, जो मार्च 2015 में 29.65% रहा है। यघपि उन्होनें बैंकों से कृषि अंतर्गत निवेश ऋण तथा पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों हेतु ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु दिशा-निर्देशों में किये गये परिवर्तनों से अवगत करवाया। साथ ही उन्होनें अकृषि क्षेत्र में बैंक फॉयनेन्स को बढावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मुद्रा बैंक की स्थापना किये जाने से अवगत करवाते हुए अकृषि क्षेत्र में formal financial sector से छूटी इकाईयों को मिशन मोड में बैंक वित्त उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

उन्होनें बताया कि 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' अंतर्गत प्रत्येक परिवार को बैंक खाते से जोड़ना, सभी उप सेवा क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट की स्थापना के साथ बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना जैसे रूपे डेबिट कार्ड, सूक्ष्म क्रेडिट, रेमिटेंस इत्यादि गतिविधियों से वित्तीय समावेशन को निश्चय ही एक नई गति मिली है। 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' मिशन द्वारा न केवल बैंकिंग सेवा रहित समाज के विभिन्न वर्गों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया गया है, अपितु विभिन्न अनुदान योजनांतर्गत लाभ अनुदान का सीधा अंतरण कुशलता से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि सभी को विशेषरूप से गरीब तथा पिछडे वर्गों को जो अभाव तथा अनिश्चितताओं में जीवनयापन कर रहे है उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा तीन सामाजिक सुरक्षा स्कीम "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" एवं "अटल पेंशन योजना" लागू की गई हैं। परिवार के मुखिया के सेवानिवृत्ति, मृत्यु या पूर्ण या आंशिक विकलांगता की दशा मे वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालिक जीविका उपलब्ध करवाने की दिशा में यह एक कदम है। उन्होनें सभी बैंकों, इंश्योरेंस कम्पनियों से सभी लोगों को उक्त तीनों स्कीमों में कवर करने हेतु उसी उत्साह से काम करने हेतु अनुरोध किया जैसा कि "प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के क्रियांवयन के समय किया गया था।

उन्होनें वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन एक दूसरे के पूरक हैं तथा वित्तीय साक्षरता हेतु किये जाने वाले प्रयासों को ओर गति प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अध्यक्ष महोदय ने बैंकों के लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर पर गहन चिंता व्यक्त की तथा बताया कि एन.पी.ए. स्तर में वृद्धि से न केवल बैंकों की लाभप्रदता अपितु कार्यनिष्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में सभी बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही जिला / ब्लॉक स्तर पर बडी संख्या में राको रोडा मामले लम्बित होने तथा ऐसे मामलों में बैंक वसुली हेतु राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया जिससे कि राज्य में बैंक वसुली हेतु एक समुचित परिवेश तैयार हो सकें।

अध्यक्ष महोदय ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लम्बित आवेदनों के निपटान हेतु समस्त बैंको से आग्रह किया तथा अवगत करवाया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी। अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।

अध्यक्षीय उदबोधन के पश्चात श्री अर्णव रॉय का भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक का पदभार ग्रहण करने एवं श्रीमति सरिता अरोरा का नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के मुख्य महाप्रबन्धक का नव पदभार ग्रहण करने से सभी को अवगत करवाते हुए उनका स्वागत किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने लम्बे समय पश्चात एस.एल.बी.सी. मिटिंग में सहभागिता करने पर हर्ष दर्शाया तथा बताया कि एस.एल.बी.सी. राज्य के विकास परक गतिविधियों को हासिल करनें हेतु एक सशक्त मंच है। उन्होने बताया कि राज्य में CD Ratio उल्लेखनीय है जो देश में सम्भवतया सबसे ज्यादा है। राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण उत्साहवर्धक है, हांलाकि राज्य में कुछ बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिमों में योगदान कम रहा है। कुल अग्रिमों में कृषि अग्रिम का शेयर राज्य में काफी अच्छा है। वार्षिक साख योजनांतर्गत लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति की गई, हांलाकि कृषि निवेश ऋण काफी कम रहे है, इस दिशा में बैंकों को काम करने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होनें प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत बैंकों द्वारा किये गये कार्यों / प्रयासों की सराहना कीं। पी.एम.जे.डी.वाई. योजनांतर्गत खोले गये खातों में लेन-देन बढानें की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होनें बताया कि वित्तीय समावेशन अंतर्गत 2000 से कम जनसंख्या वाले गॉवों में शाखा खोले जाने की गति काफी धीमी है।

उन्होनें बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों / गॉवों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रभावित कृषकों को राहत उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया। साथ ही ग्रामीण तथा अर्धशहरी शाखाओं द्वारा सभी प्रकार ऋणों हेतु आवेदक से No-dues सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया समाप्त किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए बैंकों से अनुपालना हेतु अनुरोध किया। उन्होनें MSE सेक्टर में समुचित ऋण प्रवाह हेतु आवश्यकता पर बल दिया।

इसके पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी ।

<u>एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 124 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

1. **आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में लगाये गये बैंक मित्र / कियोस्क की पूर्ण सूचनाएं यथा नाम, मोबाईल नम्बर, पता इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु :-**

सदन को बताया गया कि राज्य में चिन्हित किये गए सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA) बैंक शाखा / बी.सी. / मोबाईल वैन के माध्यम से कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 7408 उप-सेवा क्षेत्र बी.सी. द्वारा कवर किये गये हैं।

बी.सी. द्वारा कवर 7408 उप-सेवा क्षेत्रों के सापेक्ष 6926 बी.सी. की सूचना प्राप्त हुई है। शेष 482 बी.सी. की सूचना निम्नानुसार प्राप्त होना बाकी है।

BRKGB- 207, PNB-102, SBBJ-99, UCO Bank-31, RMGB-19, Allahabad Bank-12, SBI-08, IDBI-03, ING Vysya Bank-01

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त बैंकों को एक सप्ताह में बी.सी. की सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही - BRKGB, PNB, SBBJ, UCO Bank, RMGB, Allahabad Bank, SBI, IDBI, ING Vysya Bank)

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक बुधवार को सभी बैंकों के साथ वीडियों कॉफ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जन-धन योजना, बी.सी. Functioning तथा वित्तीय समावेशन से जुडे मुद्दों की समीक्षा किये जाने के बारे में सदन को अवगत करवाया। साथ ही उन्होनें बी.सी. को समुचित पारिश्रामिक के भुगतान की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बैंकों से इस बाबत आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया।

2. ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना:

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत 6804 शाखाओं में से 3598 शाखाओं (52.88%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बाबत पिछली एस.एल.बी.सी. मिटिंग में भी चर्चा की गई थी तथा सभी बैंकों को जुलाई 2015 तक Onsite ATM स्थापित करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही - सदस्य बैंक)

3. Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District and early resolution of the issue of land Conversion charges:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया।

भूमि रूपांतरण प्रभार के मामलें में प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने SBBJ बैंक के प्रतिनिधि को मामले की मय पूर्ण विवरण / दस्तावेज आगामी 2 दिवस में सम्पर्क करने को कहा, जिससे कि मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

(कार्यवाही - SBBJ एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

4. Deployment of trained insurance person at each SSA or imparting training to Bank BC to deliver the insurance products be ensured by LIC & GIC:

इस बाबत जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा कम्पनियों से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों से गम्भीरता से काम करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही - नोडल बीमा कम्पनी)

5. All Public sector Non-life Insurance Companies according to their geographical area of operation decides the area wise target for micro insurance & progress thereof may be advised to SLBC:

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि चूंकि अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। अतः उन्होने उक्त पर अलग से चर्चा नही करने हेतु सुझाव दिया, जिस पर सदन द्वारा सहमति दर्शाई गयी।

6. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय से अवगत करवाया गया। **इस क्रम में संयोजक एवं अध्यक्ष एस.एल.बी.सी.** द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन करने व पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग एवं संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग (संस्थागत वित्त), राजस्थान सरकार द्वारा मामलें को Take up करने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (संस्थागत वित्त), राज्य सरकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जहॉ बैंक ए.टी.एम. की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही अटल सेवा केन्द्र पर राज्य सरकार द्वारा ई-मित्र कियोस्क स्थापित किये गये हैं। जिस ग्राम पंचायत में बैंक का बी.सी. कार्य नही कर रहा है वहॉ कियोस्क को अतिरिक्त बी.सी. के रूप में बैंक नियुक्त कर सकते हैं।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

<u>शाखा विस्तार</u>: 31 मार्च 2015 तक राज्य में कुल 6804 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों द्वारा 535 शाखाएं खोली गई जिनमें से 372 (69.53%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में खोली गई 535 शाखाओं में से व्यवसायिक बैंको द्वारा 436 शाखाएं, ग्रामीण बैंकों द्वारा 80 शाखाएं तथा कॉ-आपरेटिव बैंक द्वारा 19 शाखाएं राज्य में खोली गई।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत करवाया कि चालू वित्तीय वर्ष में भी बैंकों द्वारा राज्य में 500 से अधिक नई शाखाएं खोले जाना प्रस्तावित है।

<u>जमाएँ व अग्रिम</u>: मार्च 2015 को राज्य में 14.62% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,54,883 करोड़ तथा 14.96% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,25,318 करोड़ रहे हैं।

<u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण</u>: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 1,25,050 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 55.50% रहा है।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में State as a whole बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन कुछ बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में योगदान संतोषजनक नही रहा है, जिनमें आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडीकेट बैंक, विजया बैंक, कोर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर मुख्य है।

राज्य में कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 29.65%, कमजोर वर्ग को 17.58% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 8.36 % रहा है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): मार्च, 2015 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.96% रहा। जिला स्तर पर 29 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं चार जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर में यह अनुपात क्रमशः 45%, 47%, 49% व 49% रहा है।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन जिलों मे कार्यरत सभी बैंकों से चालू वर्ष के दौरान साख-जमा अनुपात मे आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता जतायी।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष उपलब्धि 111% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 98%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 276%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 59% की उपलब्धि दर्ज की गई।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि वार्षिक साख योजना 2015-16 के तहत कृषि सावधि ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य revisit कर पुर्ननिर्धारण करने की आवश्यकता है, विशेषतौर पर 10 जिलें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सिरोही व टोंक में वार्षिक साख योजनांतर्गत कृषि सावधि ऋण हेतु लक्ष्य काफी कम रखे गयें है। अतः इन जिलों में अग्रणी जिला प्रबन्धकों को कृषि ऋण प्रवाह हेतु रखे गये लक्ष्यों का कम से कम 22% कृषि सावधि ऋण हेतु रखा जाने के लिए निर्देशित किया जायें जिससे कि कृषि सावधि ऋण हेतु Ground Level Credit भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु desired level के बराबर हो सकें।

उन्होनें सदन को बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु राज्य के लिए फसल ऋण हेतु रू. 48200 करोड़ तथा सावधि ऋण हेतु रू. 17400 करोड़ Ground Level Credit का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध करवाये जाने वाली पुर्नवित्त (Refinance) सुविधा में 50% की कटौती की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से मिलने वाली पुर्नवित्त सुविधा में कोई कटौती नही की जाये क्योकि इसमें होने वाली कटौती से न केवल ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा अपितु ग्रामीण बैंकों द्वारा चालू वर्ष के लिए वार्षिक साख योजनांतर्गत कृषि हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नही हो पायेगा।

चर्चा में भाग लेते हुए **अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** द्वारा आग्रह किया गया कि ग्रामीण बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष मानते हुए सरकारी जमाएं (Govt. Deposit) उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। उन्होने बताया कि ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नही होने के कारण उन्हे कोई भी Govt. Deposit नहीं दी जाती है। ऐसे में नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त में की गई कटौती तथा बडी सरकारी जमाओं के अभाव ग्रामीण बैंकों के सामने स्त्रोत जुटाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने नाबार्ड से ग्रामीण बैंकों की इस समस्या के निपटान हेतु अनुरोध किया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि नाबार्ड एक्ट के section 22 के अनुसार ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के मामले में Refinance हेतु प्रस्ताव कभी भी नाबार्ड को प्रेषित किया जा सकता है।

(कार्यवाही - नाबार्ड व राज्य सरकार)

एजेण्डा क्रमांक - 3-

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000:

सदन को 2000 से अवगत करवाया गया कि कम आबादी वाले 35085 बैंक रहित (Unbanked) गांवों में से मार्च 2015 तक 19826 गांवो को कवर करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष मार्च 2015 तक 32138 गांव कवर कर लिये गये हैं।

सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि यघपि बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में मार्च, 2015 के लक्ष्यों के सापेक्ष काफी अच्छा कार्य किया गया है तथा अधिकतर गावों को बी.सी. के माध्यम से कवर किया गया है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार चिन्हित गांवों में से 5% गांव बैंक शाखा खोले जाकर कवर किये जाने थे, जिसमें अपेक्षित कार्यवाही वांछित है। उन्होनें बैंकों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शाखा खोले जाने हेतु अनुरोध किया। साथ ही सदन को बताया कि राज्य में सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की हैं तथा 5% शाखाएं खोले जाने के लक्ष्यों से बैंक काफी पीछे है।

प्रतिनिधि, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा 5% शाखाएं खोलने का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिये जाने के लिए आश्वस्त किया।

(कार्यवाही- SBBJ, BOM, CBI, ICICI, IOB, OBC, PNB, P&SB, SBI, SBOP, UCO Bank, Union Bank of India, Vijaya Bank, BRKGB, RMGB)

Opening of Banking Outlet in SSAs:

राज्य में कुल 9091 ग्राम पंचायतों में 9406 SSAs चिन्हित कर बैकों को आवंटित किये गये हैं। 31.03.2015 तक सभी 9406 SSAs, बैंक शाखा / बी.सी. / मोबाईल वैन के माध्यम से कवर किये जा चुके है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना: सदन को राज्य में प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत प्रगति से अवगत cover करवाया। योजनांतर्गत 19.05.2015 तक राज्य में कुल 1,12,75,985 खाते खोले गये, जिनमें से 85.75% खातों में रूपे कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा 43.46% खातों में आधार सीडिंग की गई है।

सदन को राज्य में बैंकों द्वारा बैंक खाता रहित परिवार के Identification हेतु सर्वे किया जाकर बैंक खाता रहित प्रत्येक परिवार को कवर किये जाने के बारे में तथा इस बाबत समाचार पत्रों में विज्ञापन व

प्रेस नोट के माध्यम से पब्लिक चेलेंज हेतु अवगत करवाया गया। इस बाबत 31 जिलों के saturation certificate प्राप्त हो चुके है तथा 2 जिलों अजमेर व पाली के प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन हैं।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य सरकार से सम्बन्धित दोनों जिला प्रशासन को इस बारे में निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>माइक्रो इंश्योरेंस:</u> सदन को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.05.2015 को Launch की गई सामाजिक सुरक्षा स्कीम "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" (PMJJBY), "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" (PMSBY) तथा "अटल पेंशन योजना" (APY) के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही बताया कि राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमति वसुन्धरा राजे एवं केन्द्रीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम श्री कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शुभारम्भ समारोह आयोजित किया गया तथा जिला स्तर पर भी शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किये गयें।

सदन को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त तीनों योजनाओं का क्रियांवयन 01 जून 2015 से किया जाना है तथा PMJJBY व PMSBY के नामांकन कैम्प 01.05.2015 से तथा APY के नामांकन कैम्प 07.05.2015 से प्रारम्भ हो चुके हैं। सदन को तीनों योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सदन को उपरोक्त तीनों योजनाओं के क्रियांवयन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अरबन कॉपरेटिव बैंकों को शामिल किये जाने के निर्णय से अवगत करवाया तथा इस बाबत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी इन बैंकों को निर्देशित करने के बारे में बताया। साथ ही उन्होनें ग्रामीण बैंकों से योजनायों के क्रियांवयन की तैयारी की जानकारी प्राप्त की।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने सिस्टम में तकनीकी सहयोग (Technical Support) नही होने के बारे में बताया जो कि उनके प्रायोजक बैंक SBBJ के द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। **अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** ने बताया कि उनके बैंक में CBS सिस्टम में तीनों योजनाओं के अंतर्गत नामांकन किये जा रहे हैं।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से Technical Support उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया।

इस बाबत **प्रतिनिधि, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर** ने स्टेट बैंक ग्रुप के मामलें में Technical Support स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करवाये जाने के बारे में सदन को सुचित किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को Technical Support शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही- SBBJ & SBI)

तीनों योजनाओं के फॉर्म, दिशा-निर्देश इत्यादि की सॉफ्ट प्रति एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी सदस्य बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उपलब्ध करवा दी गई हैं तथा SLBC की बेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

सदन को बताया गया कि राज्य में PMJJBY व PMSBY योजनांतर्गत 19 मई 2015 तक क्रमश: 6,33,487 व 26,16,086 नामांकन दर्ज कर लिये गये है।

भामाशाह स्कीम:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंको से भामाशाह enrollee को Co-Branded भामाशाह रूपये कार्ड जारी करने एवं भामाशाह enrollee व बैंक खाते की Mapping करने के बाद सम्बन्धित विभाग को Mapper फाईल उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सांसद आदर्श ग्राम योजना :

सदन को राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 31 गावों को माननीय सांसदों द्वारा गोद लिये जाने के बारे में अवगत करवाया गया तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत इन गांवो को कवर करने अर्थात बैंकिंग / बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाने, प्रत्येक व्यस्क सदस्य का खाता खोलने, रूपे कार्ड जारी करने, के.सी.सी. जारी करने, स्वंय सहायता समूह, JLG को बढ़ावा देने हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक/बीमा कं.)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Roll out of DBT):

सदन को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को वर्ष 2015-16 से डी.बी.टी. प्लेटफॉर्म पर कवर किये जाने के भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के बारे में बताया तथा सभी सदस्य बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों को इस बाबत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा पत्र दिनांक 14.03.2015 के माध्यम से अवगत करवाया जा चुका है।

DBT के क्रियांवयन हेतु भारत सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जाने, सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग हेतु निर्देशित किया गया है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों को लाभार्थियों की digitized लिस्ट आधार नम्बर सहित सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया।

Capacity Building of Bank Mitras / Business Correspondents:

सदन को व्यवसाय प्रतिनिधी (बी.सी. / बैंक मित्र) का बेसिक बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व उत्पादों के बारे में ज्ञानवर्धन तथा व्यवसाय प्रतिनिधी को तीन दिवसीय ट्रेनिंग उपलब्ध करवाकर IIBF द्वारा Certify करवाने के क्रम में, इण्डियन बैंक एसोसियेशन (IBA) द्वारा सभी आरसेटी निदेशकों / फैकल्टी सदस्यों हेतु दो दिवसीय “Train the Trainers Programme” आयोजित किये जाने की पहल के बारे में बताया गया।

उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बी.सी. को PMJDY एवं सरकार व बैंकों के vision से अवगत करवाना, बी.सी. को वित्तीय समावेशन प्रयासों में आ रही चुनौतियों के बारे में aware करवाना तथा अपना कार्य निर्बाध एवं प्रोडक्टिव तरीके से पूर्ण करने में सहायता प्रदान करना है।

इस क्रम में राज्य में आरसेटी निदेशकों / फैकल्टी सदस्यों के लिए दो दिवसीय "Train the Trainers Programme" 13 व 14 मार्च 2015 को एस.एल.बी.सी. द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें IIBF के प्रशिक्षकों द्वारा आरसेटी निदेशकों / फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे की प्रशिक्षण उपरांत इनके द्वारा बी.सी. / कियोस्क को तीन दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा सकें।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा आरसेटी प्रायोजक बैंकों से आरसेटी को सभी बी.सी. / कियोस्क हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

इण्डियन बैंक एसोसियेशन द्वारा दिनांक 26.05.2015 को ई-मेल के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे के बारे में स्पष्ट किया गया कि:

- ✓ प्रत्येक सदस्य बैंक अपने बी.सी. हेतु खाने / यात्रा / सर्टिफिकेशन फीस इत्यादि मदों पर होने वाले खर्चे वहन करेगा।
- ✓ डी.सी.सी. प्रायोजित बैंक प्रशिक्षण हेतु स्थान का किराया तथा प्रशिक्षण पर होने वाले अन्य खर्चे वहन करेंगें।

इस बारे में **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने बताया कि बैंक ऑफ बडौदा, आरसेटी द्वारा अपने अग्रणी जिलों में बैंक के बी.सी. को उक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही उन्होनें प्रशिक्षण हेतु venue व खाने का खर्चा आरसेटी द्वारा वहन किये जाने तथा यात्रा व अन्य आउट ऑफ पैकेट खर्चों के बतौर बैंक द्वारा प्रत्येक बी.सी. को रू. 200/- प्रतिदिन भुगतान करने के बारे मे सदन को अवगत करवाया।

PMJDY - Issues:

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निम्न मुद्दों पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु सदन का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया:

1. रूपे डेबिट कार्ड जारी व एक्टिवेट करना- उक्त योजना के तहत खोले गये सभी खातों में रूपे डेबिट कार्ड जारी करना एवं उन्हे खाताधारक को Deliver करवा कर एक्टिवेट करवाना।
2. खातों मे आधार सिडिंग हेतु focus करना।
3. सभी बी.सी. Location को Functional रखना एवं गहन मॉनिटरिंग करना।
4. वित्तीय साक्षरता केम्प आयोजित कर PMJJBY, PMSBY, APY योजना के बारे में, बैंक खाते के लाभ एवं रूपे कार्ड के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा सूक्ष्म ऋण,सूक्ष्म बीमा इत्यादि अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
5. Zero Balance खातों मे Funding करवाना।
6. पी.एम.जे.डी.वाई. पात्र खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाना।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक/बीमा कं.)

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी बैंकों से ओवरड्राफ्ट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सुझाव आमंत्रित किये।

प्रतिनिधि, सिंडीकेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक में एक MIS Portal विकसित किया गया है, जो शाखाओं को ओवरड्राफ्ट हेतु पात्र खातों की सूचि उपलब्ध करवाता है। जिसके आधार पर शाखा सम्बन्धित पात्र खाताधारकों से सम्पर्क कर ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करवा सकती है।

प्रतिनिधि, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने बताया कि उनके बैंक में सभी पात्र खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने हेतु एस.एम.एस. किया जाता है।

<u>तीन या तीन से अधिक बैंक शाखा वाले केन्द्रों पर समाशोधन व्यवस्था / समाशोधन गृह की स्थापना</u>

राज्य में चिन्हित किये गये 229 केन्द्रों मे से मार्च तक 131 केंन्द्रो पर clearing arrangement / Clearing House सुविधा उपलब्ध करवा दिये जाने के बारे में सदन को सूचित किया गया।

सभी DCC Convener Banks से चिन्हित किये गये केन्द्रों पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: DCC Convener Banks)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4: (कृषि)</u>

<u>बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि - रबी फसल में हुआ खराबा:</u>

राज्य में मार्च माह में आई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की वजह से रबी फसल में हुए खराबे पर चर्चा की गई तथा सदन को इस बाबत एस.एल.बी.सी. स्तर से की गई कार्यवाही से अवगत करवाया।

प्रभावित कृषकों को कृषि सम्बंधी कार्य निरंतर चालू रखने व तत्काल राहत के उद्देश्य से दिनांक 30 मार्च 2015 को एस.एल.बी.सी. की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। विशेष बैठक के दौरान प्रभावित कृषकों को राहत के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार की गई थी। विशेष बैठक के कार्यवृत्त तथा कार्यवाही रिपोर्ट सभी सदस्य बैंकों तथा अन्य हितग्राहियों को एस.एल.बी.सी. द्वारा दिनांक 31.03.2015 को उपलब्ध करवा दिये गये थे।

सभी सदस्यों बैंकों से विशेष बैठक में लिए गये निर्णयानुसार प्रभावित कृषकों को सहायता पहुंचाने हेतु व साथ ही राज्य सरकार से ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात से प्रभावित अधिसुचित गॉवों की सूचि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया गया।

इस बाबत बैंकों द्वारा अधिसुचित गॉवों की सूचि के अभाव में प्रभावित गॉवों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तत्काल राहत (Relief Measures) का क्रियांवयन बैंकों सम्भव नहीं हो पाना रिपोर्ट किया गया।

सदन को प्राकृतिक आपदा प्रभावित कृषकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली राहत राशि को बढ़ाकर 1.5 गुणा किये जाने एवं राहत राशि उपलब्ध करवाने हेतु खराबे का निर्धारित मानदंड 50% से घटाकर

33% किये जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय से अवगत करवाया। साथ ही राज्य सरकार से राज्य में संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

<u>फसल बीमा:</u> सदन को बताया गया कि रबी 2014-15 हेतु राज्य में 12 जिलें संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा 21 जिलें मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के कवर किये गये हैं।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने फसल बीमा कम्पनियों से प्राकृतिक आपदा प्रभावित कृषकों को बीमा दावा राशि भुगतान किये जाने के बारे में पूछा, इस बाबत **प्रतिनिधि, कृषि बीमा कम्पनी** (AIC) द्वारा सदन को सीकर जिले में 23.5 करोड रूपये भुगतान किये जाने के बारे में सुचित किया गया।साथ ही उन्होनें बाकी कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया है अथवा नही के बारे में अनभिज्ञता दर्शाई।

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से सभी फसल बीमा कम्पनियों से समंवयन तथा निगरानी कर बीमा कम्पनियों को फसल क्लेम के शीघ्र निपटान हेतु पाबन्द करने हेतु अनुरोध किया गया।

नाबार्ड द्वारा 'Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS)" एवं एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम के वर्ष 2015-16 हेतु जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त होने के बारे में सुचित किया गया। साथ ही जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैविक निविष्टियों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना को वर्ष 2015-16 हेतु जारी रखने के कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय से अवगत करवाया।

<u>Capital Subsidy Scheme to install Solar Photovoltaic (SPV) Water Pumping Systems for irrigation purpose:</u>

सदन को भारत सरकार द्वारा संशोधित मानकों के साथ इस योजना को फिर से शुरू किये जाने व स्कीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाकर, राज्य हेतु 4800 पम्पिंग इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य आवंटन के बारे में अवगत करवाया गया। एस.एल.बी.सी. द्वारा 4800 पम्पिंग इकाइयों को ऋण देने के लक्ष्यों का आवंटन बैंकवार कर दिया गया है ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा योजना के अंतर्गत समेकित प्रगति लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

<u>संयुक्त देयता समूह</u> :

सदन को वर्ष 2014-15 हेतु राज्य के लिए JLG के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य 10,000 के सापेक्ष 10227 समूहों को वित्तपोषण किये जाने के बारे में बताया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि वर्ष 2015-16 हेतु राज्य के लिये उक्त योजनांतर्गत 40,000 के लक्ष्य आवंटित किये जाने के बारे में बताया। साथ ही उन्होनें कृषि अंतर्गत निवेश ऋण बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सदन को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये संशोधित दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया गया।

Recovery Cases Pending under RACO (ROD) Act 1974

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों में के निपटान की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य आंवटित कर वसूली मे सहयोग करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी DCC संयोजक बैंकों को अग्रणी जिला प्रबन्धकों को RACO/RODA में दर्ज मामलें DCC / DLRC / BLBC बैठकों के दौरान विस्तार से चर्चा हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक - 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 26538 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 22960 SHGs को बैंक लिंकेज व 6273 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

(Source Data : Rajeevika)

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार द्वारा बैंकों के सी.बी.सी. सिस्टम में SHG की समुचित कोडिंग किये जाने की आवश्यकता दर्शाई ताकि राज्य की सही स्थिति परिलक्षित हो सके।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस बाबत सभी बैंकों से आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

National Urban Livelihood Mission (NULM):

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 7000 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 600 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये थें।

सम्बन्धित विभाग द्वारा 3724 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये गये, जिसके सापेक्ष 424 मामलों में स्वीकृति प्रदान की जाकर 83 मामलों में वितरण किया गया।

इस क्रम में संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</u>

प्रतिनिधि, खादी ग्रामोघोग आयोग द्वारा बताया गया वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु मार्जिन मनी के संशोधित लक्ष्य (54.26 करोड) शत प्रतिशत प्राप्त कर लिए गये हैं तथा इस हेतु उन्होनें सभी बैंकों का समुचित सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होनें DTFC मिटिंग में परिचालन क्षेत्र (area of operation) के बारे में आ रही समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया।

इस बाबत सुझाव दिया गया कि क्रियांवित एजेंसी द्वारा सेवा क्षेत्र अवधारणा के अनुरूप ही आवेदन बैंकों को प्रेषित किये जायें। बैंकों से PMEGP आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचनायें यथा स्वीकृति, वितरण, रिजेक्शन इत्यादि ई- ट्रैकिंग पोर्टल अघतन करने का अनुरोध भी किया गया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक / क्रियांवित एजेंसी)

<u>अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम:</u>

योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्यों 30620 के सापेक्ष 20684 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गयें, जिनमें से 17838 आवेदन स्वीकृत किये जाकर 8167 मामलों में वितरण किया गया।

प्रतिनिधि नोडल एजेंसी द्वारा 14000 आवेदन बैंकों में लम्बित होने के बारे में सुचित किया गया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने प्रतिनिधि नोडल एजेंसी से आवेदन पत्र कितने समय से लम्बित है के बारे में पूछा। इस पर प्रतिनिधि द्वारा आवेदन ज्यादा पुरानें नही होने के बारे में बताया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):</u>

सदन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। भारत सरकार द्वारा रू. 10.00 लाख तक के अकृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण (विनिर्माण, ट्रेडिंग, सेवा क्षेत्र इत्यादि) मुद्रा ऋण योजनांर्तगत कवर किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत प्रदत्त रू. 5000 तक के ओवरड्राफ्ट भी मुद्रा ऋण के अंतर्गत कवर किये जायेंगें।

8 अप्रेल 2015 या उसके बाद के उपरोक्त श्रेणी में प्रदत्त ऋण PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण में वर्गीकृत किये जायेंगें।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त योजना की मॉनेटरिंग व प्रगति की समीक्षा एस.एल.बी.सी. / डी.सी.सी. स्तर से की जानी है, के बारे में अवगत करवाते हुए बैंकों से उक्त योजनांतर्गत सूचनायें प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया।

Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes:

सदन को माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2014-15 में अनुसूचित जाति के युवा व नया व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले उघमियों के लिए ऋण वृद्धि सुविधा (Credit enhancement facility) के पेटे रू. 200 करोड़ आवंटित किये जाने की उदघोषणा के बारे में अवगत करवाया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा IFCI को उक्त योजना हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

सदन को स्कीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इस बारे में एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी सदस्यों बैंकों को पत्र दिनांक 18.05.2015 के माध्यम से अवगत करवा दिये जाने के बारे में सूचित किया।

चर्म दस्तकार एवं आधुनिकीकरण योजना:

उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में 100 मामलों का लक्ष्य रखे जाने के बारे में सदन को सूचित किया गया।

स्वंय सहायता समूह (SHG)

सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में 18289 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज तथा 12922 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है।

सभी सदस्य बैंकों से SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज के लिए एस.एल.बी.सी. की पिछली बैठक में अनुमोदित Common आवेदन पत्र लिए जाने हेतु अनुपालना हेतु अनुरोध किया गया।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2014-15 के दौरान 7099 SHGs का गठन किया जाकर 6873 समूहों का बैंक लिंकेज तथा 2718 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किये जाने के बारे में सदन को अवगत करवाया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज मे काफी Gap है, जिसे कम किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही उन्होनें सदन को राज्य हेतु वर्ष 2015-16 के लिए 20000 के लक्ष्य निर्धारित किये जाने के बारे में अवगत करवाया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सदन में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण पर चर्चा की गई तथा बैंकों को अल्पसंख्यक समुदाय को सुचारू एवं निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 6:</u>

<u>Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को वर्ष 2014-15 के दौरान आर-सेटी द्वारा 29201 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 16137 उम्मीद्वारों से Settlement के बारें अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आर-सेटी द्वारा मार्च 2015 तक प्रशिक्षित कुल उम्मीद्वारों की Settlement rate 70% रही है, जिसमें से 35% उम्मीद्वार बैंक फॉयनेंस द्वारा settled किये गये है।

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि कुछ RSETIs में समुचित बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नही करवाई गई हैं तथा उन्होनें आर-सेटी प्रायोजक बैंकों से इस बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

आर-सेटी द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रायोजित आवेदन पत्रों के मामले बैंकों द्वारा entertain किये जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई तथा इस बाबत बैंकों से सभी शाखाओं को पुनः sensitize करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने तथा भूमि आवंटन से जुडे अन्य 6 लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया।

इस बाबत सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सभी लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के बारे में अवगत करवाया। साथ ही भूमि रूपांतरण प्रभार वाले मामलों में उन्होनें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर से मामले की नवीनतम स्थिति के साथ शीघ्र ही सम्पर्क करने को कहा, जिससे की मामले का शीघ्र निपटान किया जा सके।

(कार्यवाही: एस.बी.बी.जे. एवं ग्रामीण विकास विभाग)

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने सदन को आर-सेटी द्वारा BPL अभ्यर्थियों को प्रदत्त प्रशिक्षण के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त सभी मामलों में फण्ड रिलिज किये जाने के बारे में अवगत करवाया।

<u>वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLCs):</u>

राज्य में मार्च 2015 तक 60 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये जाने के बारे में बताया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 5381 आउटडोर गतिविधियां यथा कैम्प / चौपाल / मिटिंग इत्यादि आयोजित की गई तथा इन गतिविधियों के माध्यम से 2,42,648 व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई। इसके अलावा ग्रामीण शाखाओं द्वारा भी प्रतिमाह वित्तीय साक्षरता केन्द्र आयोजित किये जा रहे हैं।

साथ ही वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / एस.एल.बी.सी. द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सदन को अवगत करवाया गया।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ जिलों में स्थापित FLCs द्वारा वांछित/आशानुरूप कार्य नही करने पर चिंता व्यक्त की एवं उन FLCs के प्रायोजक बैंकों से उक्त केन्द्रों को vibrant बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड द्वारा पूर्व की भांति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री के मुद्रण एवं साथ ही PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY स्कीम के बारे में प्रचार / जागरूकता हेतु पोस्टर / पम्पलैट इत्यादि के मुद्रण के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को फण्ड उपलब्ध करवाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में एस.एल.बी.सी. द्वारा पहले की भांति एक कमेटी बनाकर आवश्यक कार्यवाही की सकती है।

(कार्यवाही - एस.एल.बी.सी.)

क्रमांक - 7: Performance under CGTMSE:

सदन को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में रूपये 675 करोड़ के 10144 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किये जाने के बारे में अवगत करवाया गया।

एजेण्डा क्रमांक - 8: शिक्षा ऋण: वित्त वर्ष 2014-15 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 97499 खातों मे कुल बकाया राशि रु.2388.55 करोड़ के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति (Achievement) 65349 खातों में बकाया राशि रु.1611.30 करोड़ रही।

एजेण्डा क्रमांक - 9: राजीव ऋण योजना - Housing to Urban Poor:

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने सदन को अवगत करवाया कि राजीव ऋण योजनांतर्गत प्रदत्त ऋणों के मामलों में बैंक को अभी तक सब्सिडी प्राप्त नही हुई हैं। साथ ही उन्होने उक्त स्कीम बन्द किये जाने की जानकारी के बारे में बताया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्बन्धित विभाग को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही - RAVIL Department)

प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा छात्रवृति योजनांतर्गत विघार्थियों के खातें में गलत खाता संख्या अंकित होने के कारण छात्रवृति जमा नहीं होने के बारे में सुचित करते हुए बैंकों से विभाग को सम्बन्धित विघार्थी का खाता ऑनलाईन देखने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया।

इस सम्बन्ध में **उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा** द्वारा बताया गया कि बैंक सुरक्षा कारणों तथा बैंक खातों की गोपनीयता बरकरार रखने हेतु विभिन्न नियमों से बंधें होने के कारण उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकतें।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस बाबत सुझाव दिया गया था कि विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक को विघार्थी का नाम, विघार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये खाता संख्या, IFSC Code की जानकारी प्रेषित कर सम्बन्धित बैंक से खाता संख्या सही / गलत होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है या सम्भावित लाभार्थी से बैंक खाते की पासबुक / चैक की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ प्राप्त कर आपके स्तर से भी खाता संख्या की जांच की जा सकती है।

प्रतिनिधि, वित्त (बजट) विभाग द्वारा एक बैंक शाखा में एक व्यक्ति के एक से अधिक खातें होने की दशा में प्रत्येक खातें में बैंकों द्वारा अलग-2 के.वाई.सी. फॉर्म भरवायें जाने पर पेंशनभोगियों को आ रही समस्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया गया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा विभाग को अवगत करवाया गया कि बैंकों को प्रत्येक ग्राहक / खाते हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. हेतु जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करनी होती है। बैंकों में खाता खुलवाने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ग्राहक आईडी (Customer ID) प्रदान की जाती है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक खाते होने की दशा में मामलें को बैंककर्मी के ध्यान में लाकर सभी खातों हेतु एक ही ग्राहक आईडी प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में एक से अधिक खातें होने की दशा में केवल एक के.वाई.सी. फॉर्म भरे जाना पर्याप्त होगा।

उन्होनें सम्बन्धित विभाग को इस बारे में पेंशनर्स को अवगत करवा sensitize करने हेतु अनुरोध किया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****